

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर
बेईजलास- श्री दीपांशु सांगवान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र 62/2019

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मेहराम नगवाडिया पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी लूणसरा हाल निवासी संजय कॉलोनी नागौर।
2. बाबूलाल भादू पुत्र खीयाराम जाति जाट
3. सहदेव पुत्र रामनिवास जाति जाट
4. रामदेव पुत्र गागीलाल जाति जाट
5. यज्ञदत्त पुत्र बंशीलाल जाति ब्राह्मण
6. येलाराम पुत्र गणेशराम जाति जाट
7. सीताराम तांडी पुत्र हीराराम जाति जाट
8. ओमप्रकाश पुत्र जगराम जाति जाट
9. कैलाशचन्द्र गौड़ पुत्र बंकटलाल जाति ब्राह्मण
10. फताराम पुत्र नाथूराम गटेला जाति जाट
11. गियालराम पुत्र हरदीनराम जाति जाट निवासीगण शास्त्री नगर रेल्वे पटरी के पश्चिम व आई.टी.आई. के पूर्वी तरफ कस्बा नागौर

उपस्थिति :-

1. श्री बाबूलाल भादू व सोहनलाल लटियाल वकील प्रार्थी
2. श्री कुन्दन सिंह आचीणा वकील अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 भू राजस्व अधिनियम बाबत भूमि अभिलेख की गलती को शुद्ध करने बाबत।

---:---
आदेश

दिनांक :- 14-08-19

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि, प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि, मारवाड स्टेट जोधपुर रियासत काल में संवत् 1852 में कस्बा नागौर का रेकर्ड संघारित किया गया था, जिसके खसरा नम्बर 184 एकबा 54.09 बीघा व खसरा नम्बर 184/2 एकबा 9.10 बीघा कुल 63.19 बीघा किस्म खान भाटा दर्ज थी। मारवाड रियासत काल में इसका बन्दोबस्त 1981 में हुआ था। संवत् 1881 में उक्त दोनों खसरो का नया खसरा नम्बर 415 एकबा 59.19 बीघा दर्ज होकर इस खसरा नम्बर 415 की किस्म भूमि भी खान पत्थर के रूप में दर्ज है।



सहायक कलक्टर
(S.D.O.), नागौर

बन्दोबस्त संवत् 2020 ने राजस्थान सरकार के गठन के बाद पुनः मू. प्रबंधन हुआ था। जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 415 मौजा नागौर के हाल खसरा नम्बर 335 में शामिल कर इस भूमि की किस्म भी किसी आधार के परिवर्तन और बन्दोबस्त अधिकारियों ने खसरा नम्बर 415 को खसरा नम्बर 335 में गलत मिला दिया। ये इन्द्राज शुद्ध करना आवश्यक होने से प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बन्दोबस्त संवत् 1952 के पश्चात 1981 के अनुसार मौजा नागौर के वर्तमान खसरा नम्बर 335 के भूमि अभिलेख तैयार करने में की गयी लिपिकीय गलती को शुद्ध कर अभिलेख सही करने तथा खसरा नम्बर 335 के वर्तमान नक्शा मौका अनुसार तस्मीम करवाने का निवेदन किया।

अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी मेहराम नगवाडिया ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया। और अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किए :-

1. तहसीलदार नागौर की रिपोर्ट दिनांक 29.06.2018 खसरा नम्बर 335 नागौर।
2. तहसीलदार नागौर द्वारा गठित टीम से सर्वे रिपोर्ट दिनांक 23.05.2018 बाबत खसरा नम्बर 335 की प्रमाणित प्रति मय रहवासी मकान व प्लोट मालिको की सूची।
3. माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर डी.बी.सिविल (पीआईएल) संख्या 1783/2018 के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा तहसीलदार मार्फत सर्वे व मौके मय नजरी नक्शा रिपोर्ट दिनांक 15.12.2010 की फोटो प्रतियां।
5. खसरा नम्बर 335 व उस में से आवंटित किये गये खसरो की खतौनियां संवत् 2061 से 2064 मौजा नागौर की प्रमाणित प्रतियां।
6. मिसल बन्दोबस्त संवत् 1952 खसरा नम्बर 184 मौजा नागौर की प्रमाणित प्रतिया।
7. मिसल बन्दोबस्त संवत् 1981 खसरा नम्बर 415 मौजा नागौर की प्रमाणित प्रतिया।
8. खतौनी नकल संवत् 2011 से 2028 तक खसरा नम्बर 415 मौजा नागौर की प्रमाणित प्रतिया।
9. खतौनी नकल संवत् 2015 का खसरा पत्रांक खसरा नम्बर 415 की प्रमाणित प्रतियां।
10. खसरा पत्रांक संवत् 2015 खसरा नम्बर 335 मौजा नागौर की प्रमाणित प्रतिया।
11. नक्शा ट्रेस नया वाद वर्तमान सेटलमेंट खसरा नम्बर 335 के मौजा नागौर की प्रमाणित प्रतिया।
12. नक्शा ट्रेस पुराना खसरा नम्बर 414, 411, 415, 416 मौजा नागौर की प्रमाणित प्रतिया।
13. मारवाड सरकार संवत् 1920 का पट्टा खसरा नम्बर 415 बरजुडी के पूर्वजों से फोटो प्रति।
14. मारवाड सरकार संवत् 1920 के पट्टा की हिन्दी अनुवाद की फोटो प्रति।
15. वसीयतनामा को बरजुडी को किया गया उसकी प्रमाणित प्रति।


महायक कलक्टर
(SDO), नागौर

16. राजस्व अपीलीय अधिकारी जोधपुर निर्णय दिनांक 03.04.1986 बरजुडी बनाम सरकार के निर्णय की प्रमाणित प्रति।
17. राजस्व मण्डल अजमेर निर्णय दिनांक 11.02.1994 सरकार बनाम बरजुडी के निर्णय की प्रमाणित प्रति।
18. जिला कलक्टर नागौर द्वारा शिक्षा विभाग नागौर को आवंटित जमीन की पत्रावली की सम्पूर्ण प्रमाणित प्रति।
19. राजस्व अपीलीय अधिकारी नागौर द्वारा निर्णय दिनांक 02.05.2017 भंवरी देवी बनाम सरकार के निर्णय की प्रमाणित प्रतियां।
20. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश नागौर के निर्णय दिनांक 19.07.2017 चतर सिंह बनाम सरकार के निर्णय मय डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रतियां।
21. सिविल न्यायाधीश नागौर के निर्णय दिनांक 08.09.2017 भंवरी देवी बनाम सरकार के निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रतिया।
22. सिविल न्यायाधीश नागौर के निर्णय दिनांक 08.09.2017 सुमन बनाम सरकार के निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रतिया।
23. माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के डी.बी.सिविल रिट पीटीशन 3099 / 1994 के निर्णय की प्रति।
24. माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के एस.बी.सिविल रिट पीटीशन 43 / 2002 के निर्णय की प्रति।
25. खसरा नम्बर 335 नया खसरा नम्बर 415 पुराना मौजा नागौर में नई कॉलोनी का बाई प्रिन्ट नक्शा।
26. खसरा नम्बर 335 व 415 के नजरी नक्शा की गूगल प्रति।
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण का सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए है, जो शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से तहसीलदार नागौर द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का पैरावाईज प्रत्युतर प्रस्तुत किया है जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीगण संख्या 2 तहसीलदार नागौर ने प्रत्युतर में कस्बा नागौर के हाल खसरा नम्बर 335 की किस्म भूमि का इन्द्राज साबिक बन्दोबस्त सुधार करने एवं नक्शों में दुरुस्ती की मांग का कोई खण्डन नहीं किया।
3. हमने प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनलाल लटियाल व श्री बाबूलाल भादू ने बताया कि बन्दोबस्त अधिकारियों को भूमि की किस्म परिवर्तन के अधिकार नहीं है। बन्दोबस्त के अधिकारी इन्द्राजों की पुनरावृत्ति कर सकते है। कोई नया इन्द्राज नहीं कर सकते। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

1. आरआरटी 2008 (1) पृष्ठ 154 अनवान गीगाराम व अन्य बनाम राजस्व मण्डल वगैरह एसबीसी रीट पीटीशन नम्बर 2947 / 2002 निर्णय दिनांक 23.7.2007 में पारित विनिश्चय इस प्रकार है :-


महायक कलक्टर
(SDO), नागौर

Rajasthan Tenancy Act, 1955 -Sec. 88-Suit for declaration-Petitioners declared khatedar tenant of Kh. No. 734-RAA, reversed the judgment & upheld by BOR-Settlement Department had no right to change the existing entries even admitting the possession of father respondent No.4-Respondent No. 4 should have file an independent suit-Held, RAA & Board were not justified in reversing the judgment & decree.

The SDO passed the first judgement by considering the statement of PW-1 Bhura, PW-2 Bodu Ram and PW-3 Prabhati Ram and PW-4 Ramu and relevant documents including Ex.P-1 to P-8 as also Ex.D-1 to Ex.D-6. The SDO in his order noted that Prabhati clearly indicated that khasra No. 734 which at the time of settlement was entered in the name of the petitioners was earlier recorded in the name of the petitioners. The Settlement Department could not have changed the khatedari by entering the name of respondent No. 4 only on the basis of their assertion that they were in cultivatory possession of the said land. If at all the respondent No.4 was claiming right over the land in dispute, the proper course for him was to get his rights declared and accordingly corrected. What there-fore has to be seen is whether the view taken by the SDO suffer from any such legal error as could have justified interference by the RAA and Board. The RAA has solely based its order on so called admission made by the petitioners that they were not in possession of Khasra No. 734 which fact has been certified by Sarpanch also. The RAA therefore concluded that the respondents were bound by these. It was solely on the basis of this that the judgment passed by the SDO was reversed. When the matter went to the Board, the Board also followed the suit and noted that the petitioners and acknowledged possession on Mangla which fact was confirmed by Sarpanch also. The Board therefore also fell into the same error by recording a finding that the entry of respondent No. 4 as khatedar tenant of khasra No. 734 measuring 0.70 hectares was made with the consent of the petitioners .

The respondents have not been able to show as to what right the Settlement has to change the existing entries in the revenue records. The Board as also the RAA has noted the fact that khasra No. 734 was entered in the khatedari of the petitioners. The Settlement was therefore bound of reflect the same position with regard to the records of rights which existed at the material time. It could neither delete the name of any khatedar not could it change any such entry. The consent which according to the respondents was given by the petitioners to the Settlement could not afford any basis to the settlement for making changes in the records of rights particularly when they also admitted possession of the respondent No. 4/ his father in the disputed land. The petitioners have alleged that the so called consent was false and


महायक कलक्टर
(SDO), नागौर

fabricated. The RAA and the Board could not have therefore attached any sanctity to such consent. If at all the respondent No.4 wanted to get his title on the basis of possession, if at all there was one or the admission made by the petitioners, the only mode available to him was to file his independent revenue suit to get his title/rights declared.

2. आरआरडी 1977 पेज 656 अनवान डालूशम बनाम राज्य सरकार अपील संख्या 404 / चुरू / 73 निर्णय दिनांक 7.9.1977 में पास्ति विनिश्चिय इस प्रकार है:-

Raj. Tenancy Act, Secs. 88 & 5(28)-In suit for declaration, piffs alleged that out of four khasra Nos. only two, entered in Parcha settlement but two, left out by mistake on ground that it was Gochar land and Prayed for correction in entries in settlement record for St. 2021-22- Suit. decreed but decree, reversed by R.A.A - Second appeal, filled- Decision required a clear finding on fact of possession-If pttffs.were recorded as tenants of original khasra No. and suit land formed part of that Khasra No., they acquired kh ari rights us 15 and suit land cou'd not be recorded as 'Gochar' land-Since determination was old possession of pttffs, from St. 12, proof of which (Jamadandi for St. 12 to 15), produced in second appeal, it required close scrutiny by S.D.O.- Judgment of R.A.A., set aside and case, remanded to S.D.O. (Paras 10 to 12)

10. We have considered the arguments of the learned counsel and have perused the record. The decision on the points in question requires a clear finding on the fct of possession. If the appellants were recorded as tenants of khasra No. 137 and the disputed land forms a part of that khasra number, they acquired khatedari rights under section 15 of the rajasthan Tenancy Act and the disputed land could not have been recorded as 'gochar' land The learned counsel for the village panchayat produced a copy of recent judgment of a D.B. of this Board in which one of us was a Member. In that case the facts were almost similar. The appellants had possession over one khasra number which was divided into two parts One of the new khasra number was recorded as 'gochar' land. The trial court decreed the suit but the leaned Revenue Appellate Authority reversed the finding and the D.B. affirmed the action of the Revenue Appellate Authority on the ground that disputed land had never been ploughed. This is not the case here because as per girdwaris from samat year 2017 to 2013 the entire 60 bighas of land was recorded as cultivated ever year.

11. However, since the determination and consideration in this case is old possession of the appellants over the disputed land from samvat year 2012, a proof of which has been produced only in the revenue board, it requires a closer scrutiny by the trial court.


सहायक कलक्टर
(S.D.O.), नागौर

12. This appeal is, therefore, allowed, the judgment of the Revenue appellate Authority is set aside and the case is remanded back to the trial court with the direction that firstly the indentivity of the land may be further ensured and secondly the fact of appellants possession over the disputed land may be verified the basis of evidence for which fresh opportunity may be given to the parties they so desire. A fresh judgment may then be pronounced in accordance with law.


4. अप्रार्थीगण की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कुन्दनसिंह आचीणा द्वारा बहस की गयी। श्री आचीणा ने प्रार्थीगण प्रार्थीगण पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर के कथनों को ही दोहराया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस में बताये तथ्यों पर मनन किया। प्रकरण के संबंध में विधिक प्रावधानों का परीक्षण किया। इससे संबंधित विधिक प्रावधान इस प्रकार है :-

1. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 "भू अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित विधि से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा। जिनका अधिकार - अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे, या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे, परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया हो।

2. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 131 "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात भू अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाये गये नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्ड बुक रखी जायेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गांव या गांव के बाहर, भू सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।"

3. राजस्थान भू प्रबंधन अधिनियम की धारा 42 "A change in the revenue record can only be made on the basis of order of a competent court. Settlement is bound to reflect the same position. Even alleged consents given to Settlement Authorities could not form any basis for making changes in the Record of Rights. The only mode to get title on the basis possession is to file revenue site. It cannot change area. It has no right to change existing entries. It cannot effect division. But long


महायक कलक्टर
(SDO), नागौर

standing entries in settlement papers say 60 years cannot be challenged. Where there is sufficient evidence that the land is in cultivatory possession, but due to error of Settlement name was not recorded. Khatedari rights can be granted.

6. उपर्युक्तानुसार किए गए विवेचन के अनुसार-प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा/खतौनी अभिलेख संवत् 1882 में खसरा नम्बर 184 व 184/2 की किस्म खान भाटा दर्ज है। खसरा संवत् 1981 मौजा नागौर के अनुसार खसरा नम्बर 415 साबिक खसरा नम्बर 194 व 194/2 व 194/1 मीन से बना है। खसरा संवत् 1981 के अनुसार भी खसरा नम्बर 415 की किस्म भूमि खान पत्थर दर्ज है। खसरा पत्रक संवत् 2015 के अनुसार संवत् 1981 के खसरा नम्बर 415 की भूमि को हाल खसरा नम्बर 335 में शामिल किया गया है और भूमि की किस्म अंगोर दर्ज कर दी है। इस प्रकार बन्दोबस्त अधिकारियों ने साबिक खसरा नम्बर 415 मौजा नागौर के भू अभिलेख बनाने में त्रुटि की है। इस खसरा नम्बर के राजस्व नक्शे में पूर्ववत मौके पर नक्शा अनुसार अलग खसरा कायम होकर नम्बर अंकित होना चाहिये जो नहीं किया गया है। साबिक खसरा नम्बर 415 की किस्म भी गैर मुमकिन खान भाटा की बजाय गैर मुमकिन अंगोर दर्ज की गयी है, जो त्रुटिपूर्ण है। भू प्रबंधन अधिकारियों द्वारा किया गया। ऐसा अंकन पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड की बिनाय पर गलत, विधि व नियम विरुद्ध किया जाना प्रमाणित होता है।

7. परिणामतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नागौर को आदेश दिये जाते हैं कि, मौजा नागौर के साबिक खसरा नम्बर 415 के नक्शा अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 335 में नया खसरा नम्बर नक्शे में अंकित करें। नये कायम किए गए खसरा का एकबा व किस्म भूमि का अंकन बंदोबस्त संवत् 1981 के अनुसार दर्ज किया जावें। इस निर्णय का अनुतोष केवल प्रार्थी को प्राप्त होगा।

आदेश आज दिनांक14-08-19.....मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
भूमि एवं कलकत्ता
(एस.डी.ओ.) नागौर


सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर